

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डारेण्डा, राँची

पत्रांक- वि0प्रा0/बजट गैरयोजना-78/09

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, लातेहार।

विषय :-

वर्तमान वर्ष 2026-27 में राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय, पलामू के लिए स्थापना व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा लघु शीर्ष-103-तकनीकी विद्यालय-उप शीर्ष-43-प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन कुल राशि रू0 19,93,000/- (रू0 उन्नीस लाख तिरानबे हजार) मात्र आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागाधीनस्थ संचालित राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय पलामू के लिए वर्तमान वर्ष 2026-27 में विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन विभिन्न शीर्षों के सामने अंकित राशि के अनुसार कुल रू0 19,93,000/- (रू0 उन्नीस लाख तिरानबे हजार) मात्र का आवंटन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क्र0 स0	प्राथमिक ईकाई	विपत्र कोड	आवंटन
01	वेतन	43S22030010343000101	17,43,000.00
02	कार्यालय व्यय	43S22030010343000315	20,000.00
03	किराया, दर, कर	43S22030010343000316	1,50,000.00
04	आपूर्ति एवं सामग्री	43S22030010343000323	20,000.00
05	व्यावसायिक सेवाएँ	43S22030010343000329	60,000.00
योग :-			19,93,000.00

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक- 285/बजट दिनांक- 25.03.2026 एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों के आलोक में प्रदान की जा रही है, अतएव राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त परिपत्रों में दिए गए निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने की आपकी जबाब देही होगी।
- राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, लातेहार होंगे।
- राशि के व्यय में जहाँ तक हो सके मितव्ययिता बरती जाय।
- वेतन मद में राशि की कमी होने पर पूर्ण औचित्य के साथ राशि की माँग यथा समय करेंगे।

कृ0प0उ0

W

06. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98 के आलोक में की जाएगी, राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
07. विपत्र पर बजट शीर्ष एवं विपत्र कोड सही एवं सुस्पष्ट रूप से अंकित करेंगे, ताकि महालेखाकार कार्यालय को वाउचर पोस्टिंग करने की असुविधा नहीं हो।
08. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का सख्ती से पालन किया जायेगा।
09. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी की राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।
10. आवंटित राशि का दूसरे मदों में दुर्विनियोग या विचलन कदापि नहीं किया जाय।
11. व्यय की गई राशि का अंकेक्षण महालेखाकार, राँची एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) के क्षेत्रान्तर्गत रहेगा।
12. राशि की निकासी जिला कोषागार, पलामू से की जायेगी।
13. व्यय विवरणी टी०भी०न० सहित संकलित कर महालेखाकार कार्यालय में संधारित आकड़ा से त्रैमासिकी लेखाओं का सत्यापन/मिलान सुनिश्चित करेंगे तथा इस पर व्यक्तिगत ध्यान देंगे।

विश्वासभाजन
ह०/-

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- वि०प्रा०/बजट गैरयोजना-78/09

/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- वि०प्रा०/बजट गैरयोजना-78/09/377

/राँची, दिनांक- 16-04-2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा को एक अतिरिक्त प्रति के साथ गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15.4.26

सरकार के प्रधान सचिव।
